राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज, देवगॉव,आजमगढ, (उ0प्र0), भारत

RAJKIYA ENGINEERING COLLEGE, DEOGON, AZAMGARH (UP) India

Ragging is Strictly Prohibited

What is Ragging??

Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any junior student, indulging in rowdy or indiscipline activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in fresher of a junior student or asking the student (s) to do or perform something which the student will not do in ordinary course and which has the effect of causing or generating sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the psyche of a fresher or junior. The case of indulging in ragging is a desire, a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by seniors over the fresher's.

Hon'ble Supreme Court of India

APPEAL:

PLEASE DO NOT INDULGE IN RAGGING AND HELP IN MAINTAINING IT AS A RAGGING FREE CAMPUS

DIRECTOR

राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज, देवगॉव, आजमगढ़ (उ०प्र०) भारत

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित "उ0प्र0 शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम - 2010" के सम्बन्ध में जारी अधिसूचना संख्या : 400/79-वि-1-10-1(क)-11-2010 के द्वारा संस्थान के भीतर एवं बाहर रैगिंग पूर्णतया प्रतिषेदित है।

रैगिंग क्या है ?	दण्ड का प्राविधान
"रैगिंग" का तात्तर्य किसी विद्यार्थी से कोई ऐसा कार्य करने या ऐसे कृत्य का सम्पादन करने के लिए कहे जाने, शब्दों, इशारों या संकेत द्वारा किसी ऐसे कार्य को कराने, प्रलोभन देने, विवश करने, दबाव डालने से है, जिससे किसी भी प्रकार से मानव गरिमा का ह्रास होता हो या उसका व्यक्तित्व दूषित होता हो या जिससे वह उपहास, अभित्रास, अन्यायपूर्ण नियंत्रण, अन्यायपूर्ण परिरोध से पीड़ित होता हो और उसे क्षति पहुँचाने या उसे किसी प्रकार की धमकी या अभित्रास देने, अन्यायपूर्ण नियंत्रण, अन्यायपूर्ण परिरोध करने या क्षति पहुँचाने या उस पर आपराधिक बल प्रयोग करने से है।	1. अधिनियम के अनुसार जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी शैक्षणिक संस्थान के भीतर या उसके बाहर रैगिंग करता है, उसमें भाग लेता है, दुष्प्रेरित करता है या उसका प्रचार करता है, उसे दो वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास या रूपये दस हजार तक के जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जायेगा। 2. अधिनियम की धारा-5 के अधिन अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी छात्र को विवर्जन के दिनांक से ऐसी अवधि के लिए जो पॉच वर्ष तक हो सकती है, किसी शैक्षणिक संस्था में दाखिल नहीं किया जायेगा। 3. शासनादेश संख्या : 2336/सोलह-1-2008-1-250/96टीसी, दिनांक 27 जुलाई, 2010 के अनुसार संस्थानों में इस प्रकार की घटनाओं में दोषी पाये जाने वाले छात्रों पर नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही, उनके दोष के आधार पर छात्रावास से निष्कासन, संस्थान से निलम्बन, जी0पी0 मार्क में कटौती, मेस से निलम्बन एवं स्कालरशिप बन्द किए जाने की कार्यवाही की जायेगी।
कृपया रैगिंग की किसी गतिविधि में संलिप्त न होते हुए इस विद्यालय को रैगिंग मुक्त परिसर बनाये रखने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें।	
(प्रो0 डी0के0 सिंह) निदेशक	